



2026:AHC:6419

ए एफ आर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 10170 वर्ष 2025

अभिनाश शर्मा उर्फ अविनाश शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: प्रशांत सिंह, संतोष कुमार पांडे, शरद कुमार श्रीवास्त

विपक्ष(गण) के अधिवक्ता

: जी. ए. , ज्योति भूषण

न्यायालय संख्या :- 51

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

1. श्री प्रशान्त सिंह एवं श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्तागण, प्रतिवादी / सूचनाकर्ता की ओर से श्री ज्योति भूषण, विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से श्री के.के. गुप्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-क(1) के अधीन प्रस्तुत यह आपराधिक अपील सत्र वाद संख्या 291 वर्ष 2024 (राज्य बनाम अभिनाश शर्मा @ अविनाश शर्मा), धारा 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)5, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ (जो वाद अपराध संख्या 135 वर्ष 2024 से उद्भूत है), जो विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम), आजमगढ़ के समक्ष लंबित है, की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा विद्वान विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम), आजमगढ़ द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 13.09.2024 के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत की गई है।
3. संक्षेप में, तथ्य यह हैं कि सूचनाकर्ता, श्रीमती गीता पत्नी भोला, निवासी ग्राम तोहफापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध दिनांक 4.5.2024 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई। उसमें आरोप लगाया गया कि उसकी पुत्री (पीड़िता) को अपीलकर्ता ने प्रेम सम्बन्ध में फँसा लिया तथा विवाह के बहाने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए। जब पीड़िता से विवाह करने हेतु उस पर दबाव डाला गया, तब उसने इन्कार कर दिया तथा यदि सूचनाकर्ता अथवा उसके परिवार के सदस्य विवाह की मांग

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेंगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने जातिसूचक गालियाँ दीं।

4. वाद की विवेचना की गई तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 504 एवं 506 तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(व) के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान न्यायालय ने दिनांक 13.9.2024 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराधों का संज्ञान ग्रहण किया।
5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साधारण अवलोकन से ही स्पष्ट है कि उसमें अपीलकर्ता के विरुद्ध अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अपराधों का गठन करने वाले कोई आरोप नहीं हैं। विवेचक अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई आपत्तिजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि पीड़िता का अपीलकर्ता द्वारा विवाह के मिथ्या वचन पर शोषण किया गया। उल्लेखनीय है कि न तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा न ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पीड़िता के बयान में अपीलकर्ता एवं पीड़िता के मध्य सम्बन्ध की अवधि का उल्लेख है। उसमें केवल मिथ्या विवाह के बहाने शोषण का सामान्य आरोप लगाया गया है। विवेचक अधिकारी के समक्ष अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि अपीलकर्ता ने विवाह का मिथ्या वचन देकर उसका यौन शोषण किया। उसने आरोप लगाया कि जब उसने अपीलकर्ता से विवाह सम्पन्न करने के लिए कहा, तब उसने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उनकी जातियाँ भिन्न होने के कारण यह संभव नहीं है तथा उसे गाली दी और धमकी भी दी।
6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने बयान में पीड़िता ने प्रथम बार स्वीकार किया कि वह पिछले चार माह से अपीलकर्ता के सम्पर्क में थी। उसने कहा कि अपीलकर्ता ने उससे विवाह करने का वचन दिया तथा उसके पश्चात उसके साथ दो अवसरों पर, विशेष रूप से दिनांक 20.4.2024 तथा 30.5.2024 को, शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, पीड़िता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने बयान में कहा कि यदि अपीलकर्ता उससे विवाह कर लेता है, तो वह उसके विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाएगी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी आयु लगभग 20 वर्ष है, जिससे यह स्थापित होता है कि वह बालिग है तथा अपने कृत्यों के परिणामों को समझने में सक्षम है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन की विषयवस्तु, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के अधीन पीड़िता के बयानों के साथ पढ़े जाने पर, स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि अभियोजन के आरोपों को सत्य मान लेने पर भी सम्बन्ध सहमति पर आधारित था। अपीलकर्ता द्वारा



विवाह के किसी वचन के विवरण का उल्लेख न किया जाना इस अनुमान को जन्म देता है कि ऐसा कोई वचन दिया ही नहीं गया था। विवाह के बहाने बलात्कार का मात्र आरोप पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियोजन यह सिद्ध न करे कि पीड़िता ने ऐसे वचन पर विश्वास करते हुए यौन सम्बन्ध हेतु सहमति दी थी। इस महत्वपूर्ण तथ्य के समर्थन के अभाव में, बलात्कार का आरोप स्थिर नहीं रह सकता। अतः अपीलकर्ता के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने विवाह का वचन देकर अपनी वासना की पूर्ति हेतु उसे धोखा दिया। उसने कहा कि जब उसने विवाह के लिए दबाव डाला, तब अपीलकर्ता ने जाति भिन्न होने का कारण बताते हुए इन्कार कर दिया। अपीलकर्ता ने विवाह के बहाने उसके साथ दो बार शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए, किन्तु बाद में विवाह करने से इन्कार कर दिया। पीड़िता का बयान सुसंगत, स्पष्ट एवं निरन्तर है, जो अभियुक्त के अपराध को स्थापित करता है। अतः यह आपराधिक अपील गुणहीन है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।
8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
9. इस वाद के तथ्यों में प्रवेश करने से पूर्व, स्त्री की सहमति प्राप्त कर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु विवाह के मिथ्या वचन तथा विवाह के वचनभंग के मध्य अन्तर का परीक्षण करना उचित होगा। यदि स्त्री की सहमति के बिना यौन सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में उल्लिखित “सहमति” का अभिप्राय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 में परिभाषित किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 भय अथवा भ्रम के अधीन दी गई सहमति को परिभाषित करती है :-

“90. भय अथवा भ्रम के अधीन दी गई सहमति - यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा क्षति के भय अथवा तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो, तथा वह व्यक्ति जो वह कार्य करता है, यह जानता हो अथवा यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह सहमति ऐसे भय अथवा भ्रम के परिणामस्वरूप दी गई है, तो ऐसी सहमति इस संहिता की किसी धारा के अभिप्रेत सहमति नहीं मानी जाएगी; अथवा



विक्षिप्त व्यक्ति की सहमति - यदि सहमति ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो, जो मानसिक अस्वस्थता अथवा मादकता के कारण उस बात की प्रकृति तथा परिणाम को समझने में असमर्थ हो, जिसके लिए वह अपनी सहमति दे रहा है; अथवा

बालक की सहमति - जब तक कि प्रसंग से विपरीत अभिप्राय प्रकट न हो, यदि सहमति ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जिसकी आयु 12 वर्ष से कम हो।”

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 में “सहमति” की परिभाषा को “बलात्कार” की परिभाषा (धारा 375) के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी स्त्री को विवाह के मिथ्या वचन द्वारा यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसकी सहमति दोषपूर्ण हो जाती है।

10. उच्चतम न्यायालय ने **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 2019 उच्चतम न्यायालय 4010** में, समान परिस्थितियों पर विचार करते हुए, निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा विधि के सिद्धान्त प्रतिपादित किए :-

“जहाँ विवाह का वचन मिथ्या हो तथा वचन देने वाले का आशय वचन देते समय ही उसका पालन करने का न होकर स्त्री को धोखा देकर उसे यौन सम्बन्ध स्थापित करने हेतु राजी करना हो, वहाँ ‘तथ्य का भ्रम’ उत्पन्न होता है, जो स्त्री की ‘सहमति’ को दोषपूर्ण बना देता है। दूसरी ओर, वचनभंग को मिथ्या वचन नहीं कहा जा सकता। मिथ्या वचन स्थापित करने हेतु यह आवश्यक है कि वचन देने वाले का वचन देते समय उसे पूरा करने का कोई आशय न हो...”

उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी प्रतिपादित किया :-

“उपरोक्त वादों से उद्भूत विधिक स्थिति का सार यह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के संदर्भ में स्त्री की ‘सहमति’ में प्रस्तावित कृत्य के प्रति सक्रिय एवं विचारपूर्ण मनन सम्मिलित होना चाहिए। यह स्थापित करने हेतु कि क्या ‘सहमति’, विवाह के वचन से उत्पन्न ‘तथ्य के भ्रम’ के कारण दोषपूर्ण हुई थी, दो तत्वों का स्थापित होना आवश्यक है। विवाह का वचन मिथ्या वचन होना चाहिए, जो दुर्भावना से तथा दिए जाने के समय उसका पालन करने के किसी आशय के बिना दिया गया हो। स्वयं मिथ्या वचन का प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक सम्बन्ध स्त्री के यौन कृत्य में सम्मिलित होने के निर्णय से होना चाहिए।”

11. अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी पुरुष को विवाह के मिथ्या वचन के आधार पर यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तभी आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जब यौन सम्बन्ध केवल

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसी मिथ्या वचन के कारण स्थापित हुआ हो। यदि सम्बन्ध अन्य कारणों से स्थापित हुआ हो, तो अपराध गठित नहीं होता। कोई स्त्री विवाह पर आग्रह किए बिना भी, पारस्परिक स्नेह अथवा व्यक्तिगत इच्छा जैसे अन्य कारणों से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय ले सकती है।

12. अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि किसी अभियुक्त को स्त्री को विवाह का मिथ्या वचन देकर यौन सम्बन्ध स्थापित करने हेतु प्रेरित करने का दोषी कब एवं कैसे ठहराया जा सकता है?
13. यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि आपराधिक वादों में, जहाँ अभियुक्त पर बलात्कार का आरोप हो, पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण हो जाती है तथा यदि उसका बयान उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो, तो उसे पुष्टिकरण की भी आवश्यकता नहीं होती। तथापि, इसका विपरीत भी सत्य है, क्योंकि साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में विधि विभिन्न श्रेणियों के साक्षियों के मध्य कोई भेद नहीं करती तथा बलात्कार की पीड़िता को कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया है। पीड़िता के बयान को सार्वभौमिक रूप से अंतिम सत्य मानने का कोई विधिक सिद्धान्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने **अब्बास अहमद चौधरी बनाम असम राज्य (2010) 12 उच्चतम न्यायालय वाद 115** में यह प्रतिपादित किया कि यौन उत्पीड़न का वाद भी अन्य वादों की भाँति संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए तथा यह कोई अनुमान नहीं है कि अभियोजिका सदैव सम्पूर्ण तथ्य सत्यतापूर्वक बताएगी।
14. पूर्ववर्ती अनुच्छेद में विवेचित सिद्धान्त उन वादों पर भी समान रूप से लागू होता है, जिनमें अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता को विवाह का मिथ्या वचन देकर यौन सम्बन्ध स्थापित करने हेतु प्रेरित करने का आरोप हो। ऐसी आपराधिक उत्तरदायित्व आरोपित करने हेतु अभियोजन के लिए यह आवश्यक है कि वह पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि सम्बन्धित समय, अर्थात् प्रारम्भिक अवस्था में ही, अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने के अपने वचन को निभाने का कोई आशय नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने **दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.आर. 2013 उच्चतम न्यायालय 2071** में निम्नलिखित प्रतिपादित किया :-

“24. अतः यह स्पष्ट है कि यह प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य होना आवश्यक है कि सम्बन्धित समय, अर्थात् प्रारम्भिक अवस्था में ही, अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने के अपने वचन को निभाने का कोई आशय नहीं था। निस्संदेह, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ कोई व्यक्ति सर्वोत्तम आशय रखने के बावजूद विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से विवाह करने में असमर्थ हो जाए। ‘भविष्य की किसी अनिश्चित तिथि के सम्बन्ध में किए गए वचन को निभाने में विफलता, ऐसे कारणों से जो उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट नहीं हैं, सदैव तथ्य के भ्रम की श्रेणी में नहीं आती।’ ‘तथ्य के भ्रम’ की परिधि में आने हेतु उस तथ्य का तात्कालिक महत्व होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 का



सहारा लेकर किसी युवती के कृत्य को पूर्णतः क्षम्य नहीं ठहराया जा सकता तथा दूसरी ओर आपराधिक उत्तरदायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता, जब तक कि न्यायालय इस तथ्य से आश्वस्त न हो जाए कि प्रारम्भ से ही अभियुक्त का उससे विवाह करने का वास्तविक आशय कभी था ही नहीं।”

15. अतः यह स्पष्ट है कि किसी अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराए जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि (क) प्रारम्भ से ही अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने का कोई आशय न रहा हो। बाद की परिस्थितियों के कारण मात्र विवाह न कर पाना छल नहीं माना जाएगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 केवल तभी लागू होती है जब प्रारम्भ से ही कपटपूर्ण आशय विद्यमान हो; तथा (ख) इसे पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा सिद्ध किया जाना आवश्यक है।

16. उपर्युक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि विवाह के मिथ्या वचन द्वारा किसी स्त्री से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना ऐसा अपराध है जो उसकी सहमति को दोषपूर्ण बना देता है तथा यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध को आकर्षित करता है। वचनभंग को सामान्यतः एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से विवाह करने सम्बन्धी पारस्परिक सहमति अथवा वचन को पूरा न करने के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा इसे एक दीवानी अपकृत्य के रूप में देखा जाता है। किसी अभियुक्त को विवाह के मिथ्या वचन के बहाने बलात्कार करने हेतु आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन यह स्थापित करे कि अभियुक्त ने प्रारम्भ से ही पीड़िता को धोखा दिया तथा उससे विवाह करने का कोई आशय नहीं था और उसका उद्देश्य अपनी वासना की पूर्ति करना था। अतः अपराध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :-

(क) अभियुक्त ने पीड़िता से विवाह करने का वचन दिया हो;

(ख) वह वचन मिथ्या हो तथा उसे पूरा करने का कोई आशय न हो;

(ग) वह वचन पीड़िता को धोखा देने तथा उसे यौन सम्बन्ध हेतु सहमति देने के लिए प्रेरित करने के आशय से दिया गया हो;

(घ) धोखा देने तथा छल करने का कपटपूर्ण आशय वचन दिए जाने के प्रारम्भ से ही विद्यमान हो; तथा

(ङ) पीड़िता की यौन सम्बन्ध हेतु सहमति केवल ऐसे मिथ्या वचन के आधार पर प्राप्त की गई हो।



(च) सहमति को मिथ्या वचन द्वारा दोषपूर्ण ठहराने हेतु यह आवश्यक है कि वह वचन स्त्री के सम्भोग में सम्मिलित होने के निर्णय से तात्कालिक सम्बन्ध रखता हो।

(छ) यह प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा किया गया वचन प्रारम्भ से ही उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना किया गया था।

17. उपर्युक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 एवं 164 के अधीन पीड़िता के बयानों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनमें केवल विवाह के बहाने शोषण के सामान्य आरोप लगाए गए हैं, किन्तु सम्बन्ध की अवधि अथवा किसी समकालीन वचन का उल्लेख नहीं किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पीड़िता के बयान में भी विवाह के किसी विशिष्ट वचन का विवरण नहीं है। उसने यह नहीं बताया कि उक्त वचन कब और कहाँ दिया गया था, बल्कि केवल यह आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने विवाह के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह महत्वपूर्ण है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने बयान में पीड़िता ने चार माह के सहमति आधारित सम्बन्ध को स्वीकार किया, वचन दिए जाने के पश्चात दो अवसरों पर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होने का उल्लेख किया, स्पष्ट रूप से बलात्कार से इन्कार किया, अपनी बालिगता (लगभग 20 वर्ष) की पुष्टि की तथा यह भी स्पष्ट कहा कि विवाह हो जाने पर वह अभियोजन वापस लेने को तैयार है।

18. “विवाह करने के वचन” के आवश्यक तत्व के समर्थन में इस बात का अभाव कि उक्त वचन प्रारम्भ से ही उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना दिया गया था, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 90 सहपठित धारा 375 के अधीन यौन सम्बन्ध हेतु पीड़िता की सहमति को दोषपूर्ण नहीं बनाता। सहमति पर आधारित यौन सम्बन्ध के पश्चात विवाह से इन्कार कर देना अभियुक्त को बलात्कार के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता। यह विधिक स्थिति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों **दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य (2013) 7 उच्चतम न्यायालय वाद 675** तथा **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 उच्चतम न्यायालय वाद 608** में निरन्तर रूप से प्रतिपादित की गई है, जिनमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्रारम्भिक कपटपूर्ण आशय के अभाव में विवाह के वचन का मात्र उल्लंघन सहमति आधारित शारीरिक सम्बन्ध को बलात्कार में परिवर्तित नहीं कर सकता। विवाह से प्रत्येक ऐसे इन्कार को दोषपूर्ण सहमति मानना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 की पवित्रता को क्षीण कर देगा तथा आपराधिक न्याय प्रणाली पर वास्तविक यौन अपराधों के स्थान पर विफल सम्बन्धों से उत्पन्न वादों का अनावश्यक भार डाल देगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. ये सामग्री, भले ही सत्य मान ली जाए, अपराध के आवश्यक तत्वों को स्थापित नहीं करती : (क) ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि यदि कोई वचन दिया गया था, तो वह प्रारम्भ से ही मिथ्या था तथा केवल वासना की पूर्ति हेतु धोखा देने के कपटपूर्ण आशय से दिया गया था; (ख) सम्बन्ध मिथ्या वचन पर तात्कालिक निर्भरता के स्थान पर चार माह तक चले पारस्परिक स्नेह पर आधारित प्रतीत होता है; तथा (ग) बाद में जाति भिन्न होने का कारण बताते हुए विवाह से इन्कार अधिक से अधिक वचनभंग को इंगित करता है, प्रारम्भ से छल को नहीं। बाद की परिस्थितियों के कारण विवाह न कर पाना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 के अधीन सहमति को दोषपूर्ण नहीं बनाता, जैसा कि प्रमोद सूर्यभान पवार (उपर्युक्त) तथा दीपक गुलाटी (उपर्युक्त) में प्रतिपादित किया गया है।
20. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 एवं 506 के आरोपों के सम्बन्ध में, गाली-गलौज एवं धमकी के दावे अत्यधिक अस्पष्ट एवं सामान्य प्रकृति के हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अथवा बयानों में कोई विशिष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है, अतः प्रथमदृष्टया कोई वाद स्थापित नहीं होता।
21. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) अथवा 3(2)(व) के अन्तर्गत भी कोई अपराध गठित नहीं होता। प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा पीड़िता के बयानों में उसकी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के उद्देश्य से कही गई किसी विशिष्ट जातिसूचक गाली का उल्लेख नहीं है। विवाह से इन्कार करते समय मात्र जाति भिन्न होने का उल्लेख करना विधिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, अतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14-क(1) लागू नहीं होती।
22. अतः यह न्यायालय इस मत का है कि वर्तमान तथ्य एवं परिस्थितियों में, जहाँ अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक उत्तरदायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता, उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को जारी रहने देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अतः अपीलकर्ता प्रथम सूचना प्रतिवेदन / परिवाद के निरस्तीकरण हेतु प्रार्थित राहत प्राप्त करने का अधिकारी है।
23. उपर्युक्त के दृष्टिगत, सत्र वाद संख्या 291 वर्ष 2024 (राज्य बनाम अभिनाश शर्मा @ अविनाश शर्मा), धारा 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)5, जो वाद अपराध संख्या 135 वर्ष 2024 से उद्भूत है, की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही तथा विद्वान विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम) द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 13.09.2024 निरस्त किए जाते हैं।
24. तदनुसार, यह आपराधिक अपील स्वीकृत की जाती है।

दिनांकित : 08.01.2026

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।